चाइल्ड होप

बाल श्रम न्यूजलेटर, वॉल्यूम 10, सं. 3, जुलाई–सितंबर 2021

अनुक्रमणिका

- महानिदेशक की कलम से....... 1
- बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र की गतिविधियाँ 2
- cky Je vkj rho LokLF; ldV 3
- देश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यक्रम 5
- समाचार पत्रों की कतरनें 10
- पेंसिल पोर्टल : प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल)............ 12

मुख्य संपादक

डॉ. एच. श्रीनिवास

महानिदेशक

संपादक

डॉ हेलन आर सेकर

सीनियर फेलो

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर–24, नोएडा–201301

जिला–गौतम बुद्ध नगर,

उत्तर प्रदेश, भारत

फोनः 0120–2411533–34–35

फैक्सः 0120–2411474, 2411536

द्वारा मुद्रित और प्रकाशित

महानिदेशक की कलम से

बाल श्रम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के प्रमुख अभिसमय....

1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है और यह 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को श्रम मानक स्थापित करने, नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उत्कृष्ट श्रम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक साथ लाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक अभिसमयों और सिफारिशों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं और ये दस्तावेज उन देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं जो उन्हें अनुसमर्थित करते हैं। सिफारिशें गैर–बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यों को उन्मुख करने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करती हैं।

आईएलओ के आठ प्रमुख अभिसमय (जिन्हें मौलिक/मानवाधिकार अभिसमय भी कहा जाता है) हैं। ये इस प्रकार हैंः बलात् श्रम पर अभिसमय (संख्या 29); बलात् श्रम का उन्मूलन पर अभिसमय (संख्या 105); समान पारिश्रमिक पर अभिसमय (संख्या 100); भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) पर अभिसमय (संख्या 111); संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभिसमय (संख्या 87); संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अभिसमय (संख्या 98); न्यूनतम आयु पर अभिसमय (संख्या 138); बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अभिसमय (संख्या 182)। बाल श्रम से सीधे तौर पर जुड़े दो मुख्य अभिसमय आईएलओ अभिसमय 138 और 182 हैं। भारत ने रोजगार में उम्र के प्रवेश के संबंध में अभिसमय सं. 138 और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप के संबंध में अभिसमय (संख्या 182) की पुष्टि वर्ष 2017 के दौरान की है।

रोजगार और कार्य में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित आईएलओ अभिसमय सं. 138 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून 1973 में अपने 58वें सत्र में अपनाया गया था और तब से इसके अनुसमर्थन को बढ़ावा देने में आईएलओ बहुत सक्रियता से कार्य कर रहा है। इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाला प्रत्येक देश निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध होता हैः (i) बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई एक राष्ट्रीय नीति का पालन करना; (ii) रोजगार या काम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट करना जो अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा पूरी करने की आयु से कम नहीं होगी; (iii) इसे उत्तरोत्तर युवा लोगों के पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास के संगत स्तर तक बढ़ाना; और (iv) यह गारंटी देना कि किसी भी प्रकार के रोजगार या काम में प्रवेश की न्यूनतम आयु; जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवा व्यक्तियों की नैतिकता से समझौता होने की संभावना है; 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

'बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप' से संबंधित आईएलओ अभिसमय सं. 182 और इसके संगत सिफारिश संख्या 190 को आईएलओ द्वारा जून 1999 में जिनेवा में अपने 87वें सत्र में अपनाया गया था और तब से आईएलओ अपने सदस्य देशों के मध्य इसके अनुसमर्थन की वकालत कर रहा है। इस पारिभाषिक शब्द 'बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप' में ये शामिल हैं (i) दासता या दासता के समान प्रथाओं के सभी रूपों जैसे बच्चों की बिक्री और तस्करी (ऋण बंधन और दासता तथा बलात् या अनिवार्य श्रम), जिसमें सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लिए बच्चों की जबरन या अनिवार्य भर्ती शामिल है; (ii) वेश्यावृत्ति के लिए, अश्लील साहित्य के उत्पादन के लिए या अश्लील प्रदर्शन के लिए बच्चों का उपयोग, खरीद या पेशकश; (iii) अवैध गतिविधियों के लिए बच्चों का उपयोग, खरीद या पेशकश, विशेष रूप से प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों में परिभाषित दवाओं के उत्पादन और तस्करी के लिए; और (iv) वह कार्य, जिससे इसकी प्रकृति या जिन परिस्थितियों में इसे किया जाता है, के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुँचने की संभावना है। {इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए, 'बाल' शब्द 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों पर लागू होगा}।

बाल श्रम से संबंधित दो प्रमुख आईएलओ अभिसमयों पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत बाल श्रम के उन्मूलन के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पेंसिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) पोर्टल की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा कदम है।

बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र की गतिविधियाँ

cky Jfedk vkj cèkqvk etnjk dh igpku] cpko] iquokZl vkj vijkfèk;k d vfHk;kstu ij v,uykbu vfHkfoU;kl dk;Øe

बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर एक ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम 28 से 30 जुलाई 2021 के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे: मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बीच संबंधों को समझना; बंधुआ मजदूरी के नए रूपों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना; बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की प्रथा और प्रणाली की रोकथाम, उन्मूलन/खात्मे के लिए ज्ञान और कौशल को मजबूत करना; बचाव से पुनर्वास तक की महत्वपूर्ण संकट अवधि के दौरान प्रभावी और समयोचित कार्रवाई के महत्व पर चर्चा करना; बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों की पहचान, रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर जानकारी प्रदान करना; वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों की भूमिका को समझना; और अपराधियों के प्रभावी अभियोजन के लिए कौशल बढ़ाना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 166 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये प्रतिभागी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, धुबरी, कुरनूल, गुंटूर, अनंतपुरम, प्रकाशम, कृष्णा, चित्तूर, विजयवाड़ा, राजमुंदरी जिलों; असम के कामरूप, नौगांव जिलों; गुजरात के कच्छ जिला; झारखंड के पाकुड़, हजारीबाग जिलों; कर्नाटक के बागलकोट, रायचूर, बेल्लारी, कोलार, गडग, बेंगलुरु जिलों; मध्य प्रदेश के सतना, कटनी, बड़वानी, रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिलों; महाराष्ट्र के बीड, ठाणे जिलों; ओडिशा के बोलनगीर, रायगडा जिलों; पंजाब के लुधियाना जिला; राजस्थान के अलवर, अजमेर, जयपुर, प्रतापगढ़ जिलों; तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, चेन्नई, वेल्लोर, तिरुवरूर, ईरोड, नामक्कल जिलों; तेलंगाना के नागरकुरनूल, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, हैदराबाद, खम्मम, महबूबनगर, आदिलाबाद, करीमनगर जिलों; उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला; पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना जिलों से थे। इन प्रतिभागियों में श्रम विभाग के अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्य, पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी, राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए/डीएलएसए), सिविल सोसायटी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता, एनसीएलपी, सीडब्ल्यूसी, जिला टास्क फोर्स और विभिन्न बाल संरक्षण और ईसीएल तंत्र के सदस्य, शिक्षाविद और अन्य थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. हेलन आर. सेकर हैं।

^^cky Je vkj cèkqvk etnjh dk lekIr djus d fy, vfHklj.k^^ ij v,uykbu lonhdj.k çf'k{k.k dk;Øe ¼25 l 27 vxLr 2021½

''बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए अभिसरण'' पर ऑनलाइन संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 से 27 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे: बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम और संबंधित कानूनी ढांचे एवं नीतियों की बेहतर समझ को बढ़ाना; प्रतिभागियों को सामान्य रूप से हितधारकों और सामाजिक भागीदारों तथा विशेष रूप से इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिदिष्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रमुख वैधानिक निकायों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर जानकारी से लैस करना; बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, और संकटग्रस्त प्रवासन के बीच संबंधों, और बंधुआ मजदूरी प्रथा में अपराध, शोषण एवं मजदूरी के उल्लंघन के परस्पर आयामों पर समझ को बढ़ाना; हॉट–स्पॉट मैपिंग के तरीकों पर चर्चा करना और पारगमन बिंदुओं की पहचान करना; बचाव, पुनर्वास, प्रत्यावर्तन और अभियोजन के विभिन्न चरणों में समस्या का मुकाबला करने के लिए पुलिस, श्रम विभाग और जिला प्रशासन के बीच उचित समन्वय की भूमिका एवं आवश्यकता पर चर्चा करना और अपराध के लिए प्रथम प्रतिवादी के रूप में पुलिस की भूमिका पर भी चर्चा करना। इस कार्यक्रम में 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये प्रतिभागी आंध्र प्रदेश के गुंटूर, विजयनगरम जिलों; असम के कामरूप जिला; बिहार के कटिहार, पटना, भागलपुर जिलों; हरियाणा के अंबाला, सोनीपत जिलों; झारखंड के रांची, हजारीबाग जिलों; मध्य प्रदेश के बैतूल, रीवा, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, कटनी, गुना, बड़वानी, इंदौर जिलों; पंजाब के मोगा, लुधियाना, संगरूर, बठिंडा जिलों; राजस्थान के बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर, बीकानेर जिलों; तमिलनाडु के नामक्कल, कांचीपुरम, विरुधुनगर जिलों; तेलंगाना के महबूबनगर जिला; उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, महराजगंज, प्रयाग राज, अलीगढ़, गोरखपुर, गौतमबुद्ध

नगर, बनारस, प्रतापगढ़, देवरिया, कानपुर जिलों से थे। प्रतिभागियों में श्रम विभाग, पुलिस (एएचटीयू, एसजेपीयू, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ), राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, सामाजिक रक्षा/समाज कल्याण, श्रम न्यायालय, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ताओं, ट्रेड यूनियनों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं, चाइल्डलाइन, सिविल सोसाइटी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि, अनुसंधान अध्येता/शिक्षाविद और अन्य शामिल थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. हेलन आर. सेकर हैं।

lsdVxzLr çoklu okys dkexkjksa dh lzksr jkT; Hks|rk] rLdjh] cky Je vkSj caèkqvk etnwjh dks lacksfèkr djus ds fy, v,uykbu {kerk fuekZ.k dk;Øe

संकटग्रस्त प्रवासन वाले कामगारों की स्रोत राज्य भेद्यता, तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम 01 से 03 सितंबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थेः श्रम संहिताओं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, आईपीसी 370, और अन्य प्रासंगिक नीतियों एवं कानूनों की बेहतर समझ विकसित करना; संकटग्रस्त प्रवासन के कारणों पर विचार–विमर्श करना और संकटग्रस्त प्रवासन, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव तस्करी के बीच संबंधों को समझना; इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिदिष्ट प्रमुख वैधानिक निकायों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों की पृष्ठभूमि में बंधन, तस्करी और बाल श्रम के लिए भेद्य प्रवासियों की पहचान करने के तरीकों पर चर्चा करना; हॉट–स्पॉट मैपिंग के तरीकों पर चर्चा करना एवं पारगमन बिंदुओं की पहचान करना; तथा अंतर–राज्यीय आयामों को देखते हुए पीड़ित–अनुकूल प्रत्यावर्तन और पुनर्वास विधियों पर चर्चा करना। इस कार्यक्रम में 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये प्रतिभागी आंध्र प्रदेश के गुंटूर, विजयनगरम, विशाखापत्तनम जिलों; असम के कामरूप, नौगांव, धुबरी जिलों; बिहार के भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, गया, खगड़िया, नवादा, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, दरभंगा, जमुई, सीतामढ़ी, अररिया जिलों; गुजरात के अहमदाबाद, कच्छ जिलों; हरियाणा के चरखी दादरी, सिरसा, भिवानी, हिसार, रोहतक, फतेहाबाद, पंचकुला जिलों; झारखंड के रांची, हजारीबाग जिलों; मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, रीवा, बड़वानी, ग्वालियर, इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन जिलों; महाराष्ट्र के ठाणे जिला, पुडुचेरी के कराईकल जिला; तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुचरापल्ली जिलों; तेलंगाना के मंचेरल, पेडापल्ली, जगतियाल जिलों; उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजियाबाद, लखनऊ, पीलीभीत जिलों; पश्चिम बंगाल के मालदा जिला; नई दिल्ली थे। इन प्रतिभागियों में राज्य सरकार के विभागों अर्थात श्रम, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पुलिस (एएचटीयू, एसजेपीयू, राज्य अपराध शाखा सहित), समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण निदेशालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर प्रशासन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, चाइल्ड लाइन के अधिकारी, छात्र/अनुसंधान अध्येता/शिक्षाविद शामिल थे।

cky Je vkSj rhoz LokLF; ladV

gsyu vkj- lsdj*

गरीब किसी भी समाज में सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं और एक तथ्य यह है कि कोई झटका जो गैर–गरीबों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव वाला होगा, वह गरीबों के लिए बड़ी चिंता का कारण हो सकता है क्योंकि आय में नीचे की ओर की मामूली अस्थिरता भी उन्हें अपरिवर्तनीय रूप से गरीबी के स्तर से नीचे धकेल सकती है। बाल श्रम कई प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों से हुआ जुड़ा है जिनमें दोषयुक्त विकास, कुपोषण, संक्रामक और सिस्टम–विशिष्ट बीमारियों की उच्च घटनाएं, व्यावहारिक एवं भावनात्मक विकार, और मुकाबला करने की क्षमता में कमी शामिल हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के भौतिक प्रावधान में विस्तार और खर्च के उच्च स्तर के बावजूद खराब स्वास्थ्य मानव अभाव के सबसे प्रचलित कारणों में से एक है, जिसके कारण बाल श्रम की घटनाएं होती हैं। स्वास्थ्य देखभाल के लिए बाजार में प्रचलित कीमतें गरीबों की पहुंच से बाहर हैं, जो अक्सर अपनी पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति के विनाशकारी परिणामों के

* सीनियर फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

साथ बाजार दरों पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए मजबूर होते हैं।

एक अवधारणा के रूप में स्वास्थ्य विभिन्न समाजों में और समाज के भीतर भी भिन्न होता है। यह किसी व्यक्ति या समाज की व्याख्या पर आधारित है जो इसे परिस्थितियों के अनुसार सहसंबंधित करता है। जैव चिकित्सा (बायोमेडिकल) स्वास्थ्य पहचान किए गए रोगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से संबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, ''स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति''। इसके प्रभावों के संदर्भ में इसे मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् शारीरिक या मानसिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। पहला प्रभाव परिवार और उसके आसपास से संबंधित है जबकि दूसरा प्रभाव एक व्यापक अवधारणा है। स्वास्थ्य का आर्थिक प्रभाव न केवल परिवार के निवेश से जुड़ा होता है बल्कि इसे राष्ट्रीय आय के साथ भी जोड़ा जाता है क्योंकि प्रत्येक कल्याणकारी राज्य की काफी राशि स्वास्थ्य पर खर्च की जाती है।किसी भी मामले में, निम्न आय या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं क्योंकि वे खुद को बनाए रखने के लिए अपनी दैनिक आय पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। अधिकांशतः आजीविका सृजकों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना कमाना पड़ता है। इन कम आय वाले या दैनिक कमाने वाले परिवारों में परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी चाहे वह बड़ी (जल्दी ठीक न होने वाली) हो या छोटी (जल्दी ठीक होने वाली), इनके आर्थिक लाभ में बाधा बन जाती है। अस्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण कम आय वाले परिवारों में छोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारी में बदल जाती हैं। चूंकि ये कम आय वाले लोग आम तौर पर उचित स्वच्छता सुविधाओं के बिना झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन एवं परिवेश उन्हें बार–बार बीमार कर देता है। इन कारणों के अलावा वे ज्यादातर हाथ से काम करने के कारण भी बार–बार बीमार पड़ते हैं। उनकी आय काफी हद तक उनके शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है जिसके कारण वे अस्वस्थ और खतरनाक परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं।

निम्न आय वर्ग के लोगों पर बीमारी का प्रतिकूल प्रभाव यह होता है कि उनकी ठीक होने की गति धीमी होती है। चूंकि गरीब पूरी तरह से अपनी दैनिक आय, जो कि उनके परिवार का पेट पालने के लिए भी बहुत कम होती है, पर निर्भर होते हैं, अतः किसी भी बचत के अभाव में बीमारी उनके दैनिक बजट को प्रभावित करती है। डॉक्टर की फीस और दवा खरीदने पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए मरीज के साथ–साथ परिवार कम या गैर–पोषक भोजन करना शुरू कर देता है। गैर–पोषक भोजन के साथ स्वास्थ्य देखभाल की कमी उनकी बीमारी और पीड़ा को लम्बा खींचती है। यह एक ऐसी स्थिति की ओर भी ले जाता है जहां परिवार के अन्य सदस्य बीमार होने की कगार पर होते हैं।

भारत में अधिकांश रोग वायु जनित और वेक्टर जनित रोगों से संबंधित हैं, और इनके कारण अनेक मौतें होती हैं। गरीबों के बड़ी संख्या में तपेदिक, हैजा और अन्य संचारी एवं वेक्टर जनित बीमारियों से प्रभावित होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैंः अस्वच्छ रहने की स्थिति, जिसमें खुले जल निकासी और कचरा क्षेत्रों के पास रहना शामिल है, जहाँ मक्खियाँ और मच्छर हमेशा होते हैं, के कारण बड़ी संख्या में गरीब तपेदिक, हैजा और अन्य संचारी एवं वेक्टर जनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं। कम जगह होने के कारण संक्रमित व्यक्ति के व्यक्तियों के समीप रहने कारण भी शहरी गरीब बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।

एनसीएलपी योजना के तहत काम करने वाले बच्चों की पहचान बाल श्रम सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है, उन्हें काम से वापस लिया जाता है और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित किया जाता है ताकि उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इन केंद्रों में उन्हें औपचारिक शिक्षा के अलावा वजीफा, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसके अलावा, इन बच्चों के परिवारों को सरकार के विभिन्न विकास और आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत कवर करने के लिए लक्षित करने का भी प्रयास किया जाता है। यह योजना बाल श्रम की बुराइयों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने वाले अभियानों और कानून को लागू करने की भी परिकल्पना करती है।

जातीयता और संस्कृति के मामले में बाल श्रम समाज के सबसे अधिक भेदभाव वाले तबके में होता है। स्वास्थ्य संकट के परिणामस्वरूप होने वाले विस्थापन से बच्चों के पास कुछ ही विकल्प होते हैं। प्रतिकूल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से जुड़े होने के कारण बाल श्रम एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। इसलिए, बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे वर्तमान प्रयासों पर बाल श्रम के स्वास्थ्य प्रभाव आकलन के आधार पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, यह बदले में नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करेगा।

देश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), कृष्णा, आंध्र प्रदेश

कोरोना पर जागरूकता कार्यक्रम और दाल एवं मास्क का वितरण

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), दमोह, मध्य प्रदेश

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में शिक्षक दिवस कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), चेन्नई, तमिलनाडु

बाल श्रमिकों की पहचान

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), ईरोड़, तमिलनाडु

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), कांचीपुरम्, तमिलनाडु

कक्षा में भाग लेते हुए बच्चे

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), नामक्कल, तमिलनाडु

जिला कलेक्टर से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री एंटोनी, एनसीएलपी परियोजना निदेशक

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु

विशेष स्वास्थ्य जाँच

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), तिरुपत्तुर, तमिलनाडु

बाल श्रम निरीक्षण (ई–वेस्ट का प्रबंधन)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), वेल्लोर, तमिलनाडु

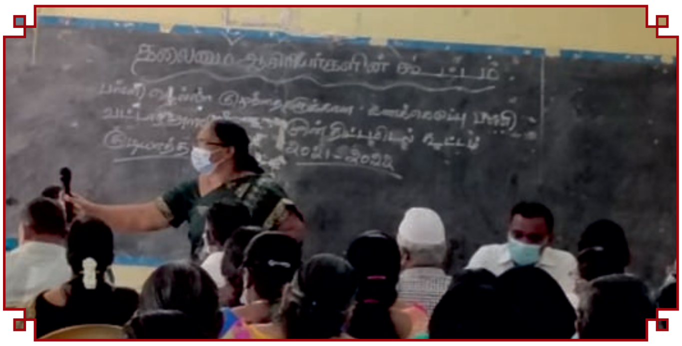

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), विरुधुनगर, तमिलनाडु

செய்தி முழக்கம்

Tamil monthly

PUBLISHER: G.VELMURUGAN SEITHI MULAKKM

JUST NOW 01.09.2021

NCLP VNR
Vadakupatti STC

விருதுநகர் தேசிய குழந்தைத் தொழிலாளர் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் சிறப்புப் பயிற்சி மையங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் கல்வி பயிற்று ஊக்குவிக்கும் விதமாக திட்ட இயக்குனர் நாரயணசாமி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.

நிருபர் பாண்டியராஜ்

செய்திகள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள. 9976638419,6383083544

KALVI TV पर सीखने में मजा आया

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), खम्मम, तेलंगाना

समाचार पत्रों की कतरनें

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), दमोह, मध्य प्रदेश

REPORT 100

रिपोर्ट100 न्यूज दमोह कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता हेतु शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है

दमोह / नेहरू युवा केंद्र दमोह से संबंध युवा मंडलों मिशन जन जागृति युवा मंडल एवं बांसा तारखेडा नवयुवक मंडल द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।सर्व प्रथम राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पूजन कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया।कार्यक्रम में श्री हेमराज पटेल कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा कहा गया कि कोरोना काल मे शिक्षको द्वारा न केवल बच्चों की पढ़ाई को अप्रभावित रखा बल्कि समाज को कोरोना से जागरूकता और बचाव हेतु भी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य किये गए जो कि सराहनीय और समाज को प्रेरणा देने वाले हैं।इस अवसर पर शिक्षकों को डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया। एसटीसी सलैया हार से गुलाब विश्वकर्मा, सुनील सिंह,नेपार से मोहन यादव,उगर सिंह,अदिवासिटोला से राघवेंद्र यादव को सम्मानित किया गया। जितेंद्र सिंह द्वारा अंत मे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किये जाने वाले फिट इंडिया फ्रीडम रन2.0की शपथ दिलाई गई और सभी से फिट इंडिया के अंतर्गत प्रतिदिन 30 मिनिट शारीरिक गतिविधि करने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), चेन्नई, तमिलनाडु

தினத்தந்தி
10 SEP 2021

கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம்

தினமணி
10 SEP 2021
நாள்:

குழந்தைத் தொழிலாளர் திட்ட சிறப்பு மையங்களில் கல்வித் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம்: மாநகராட்சி

சென்னை, செப்.9: தேசிய குழந்தைத் தொழிலாளர் திட்ட சிறப்புப் பயிற்சி மையங்களில் கல்வித் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சென்னை மாவட்டத்தில் தேசிய குழந்தைத் தொழிலாளர் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் சிறப்புப் பயிற்சி மையங்கள் மூடப்பட்டன. அதனால், இப்பயிற்சி மையங்களில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் கல்வி கற்க இயலாத சூழ்நிலை நிலவியது.

அங்குள்ள மாணவர்களின் கல்வி நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தொலைக்காட்சி மூலம் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் பொருட்டு பள்ளிக் கல்வித் துறையினரால் நடத்தப்படும் கல்வித் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை (காலை 11 மணி முதல் 11.30 மணி வரை) பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), कांचीवरम्, तमिलनाडु

தமிழ் முரசு

குழந்தை தொழிலாளர்கள் 23 பேர் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி

காஞ்சிபுரம் ஜூலை 21- காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் திட்டம், மாவட்ட கலெக்டரை தலைவராக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தில் குழந்தை தொழிலாளர்களாக இருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இவர்களுக்கு வயதுக்கேற்ற கல்வி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முறைசார் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டு இடைநின்றுவிடாமல் கல்வி பயில்கின்றனரா எனவும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், முறைசார் பள்ளியில் படித்து வரும் குழந்தை தொழிலாளர்களான 23 மாணவ, மாணவிகள் பிளஸ் 2 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

காஞ்சி – செங்கை – தி...

தினமலர் - 21.07.2021

மூன்று மாவட்டங்களில் 89.187 மாணவர்கள் தேர்ச்சி

தினமலர் - 14.07.2021

54 மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில், குழந்தை தொழிலாளர்களாக இருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள், கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

இம்மாணவர்கள், பிளஸ் 2 முடித்து, கல்லூரி, பாலிடெக்னிக்கை, உயர்கல்வி பயிலும் போது, தமிழக அரசு, ஆண்டுக்கு, 6,000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்குகிறது.

அதன்படி, 2020 – 21ம் கல்வியாண்டுக்கான மொத்த ஊக்கத்தொகையான, 3.24 லட்சம் ரூபாய், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் ஆர்த்தி உத்தரவின்படி, 54 மாணவ – மாணவியரின், வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தகவலை, தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குனர் முத்துபிரகாஷ் தெரிவித்தார்.

NCLP plans more awareness drives against child labour

NCLP Kanchipuram District - Today, Staffs of Child Welfare Committee, NCLP, Childline, visited the "Children of Thiruvalluvar Gurukulam" who have been "Quarantined" due to Covid-19, in Ezhichur Village (Kundrathur Block) near Oragadam. Member of CWC inspected each and every child and enquired about their "Health" factor and "Food" provided to them. Children found to be enthusiastic.

தினமலர் - 30.07.2021

தொழிலாளராக மீட்கப்பட்ட மூன்று மாணவியர் அசத்தல்

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), ईरोड़, तमिलनाडु

பள்ளி செல்லா குழந்தைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி

இன்று தொடங்குகிறது

தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் மையத்தில் படித்த மாணவி ...

2021-22ம் கல்வி ஆண்டில்

பள்ளி செல்லா குழந்தைகள், மாற்றுத்திறன் குழந்தைகள் கணக்கெடுப்பு பணி

குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்னை நீடித்தால் ஜவ்வாதுமலையில் கல்வி வளர்ச்சி பாதிக்கும்

விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் தகவல்

INDIAN EXPRESS 3.9.2021

Kalvi TV allots spl time for kids under NCPL

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Virudhunagar

CHILDREN studying under National Child Labour Project (NCLP) have been allotted time between 11 am and 11.30 am for Kalvi TV classes. An order from the Labour Commissioner Atul Anand read, all students studying under National Child Labour Project are to attend these special classes broadcasted in the said time. The project directors and volunteers are to ensure that the students attend these classes without fail. The volunteers have been sought to inform the students, who have a television at their houses, to watch the classes and for those who do not have a television, arrangements are to be made at the volunteers' houses or other students' houses.

NCLP Project Director Narayanaswamy said students of 16 specialised training centres, operating under the Virudhunagar District National Child Labor Project, are watching the televised classes on Kalvi TV.

❷ தின காற்று

குழந்தைத் தொழிலாளர் திட்ட சிறப்புப் பயிற்சி மையங்களில் பயின்று நடப்பாண்டில் உயர் கல்வி பயிலும் மாணவ/மாணவியர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

விருதுநகர் மாவட்ட கலெக்டர் ஜெ.மேகநாதரெட்டி தகவல்

SUCCESS, A BLEND OF FOCUS AND HARDWORK: COLLECTOR

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Virudhunagar

IT is our destination that matters rather than where we started or our background, said Collector J Meghanatha Reddy during the distribution of stipend to 43 children studying under the National Child Labour Project (NCLP), on Wednesday.

As many as 43 children were earlier rescued from labour in cracker industry, safety match industry and shops by the NCLP officials. The children were provided school education, following which they joined colleges. NCLP officers would monitor the children directly and ensure that they are educated, said the project director Narayanaswamy. The State government provides ₹500 per month as stipend for these children until they complete their education, he added.

A total of ₹2,58,000 was distributed as cheques worth ₹6,000 to the 43 children, who have completed 10th/12th and are pursuing higher education. Speaking at the function, the collector said that the lives of these children are an inspiration in itself as they survived a difficult phase and have proved that great things can follow difficult period.

"It does not matter where or when we start, nor does our family or economic background matters, but our destination and our hard work is all that matters in life. Remove all the doubts from your mind and have dreams, because dreams are guiding maps for our life," he said and appealed to the students to never lose or waste any opportunity.

Virudhunagar collector speaking during the event | EXPRESS

வெள்ளிக்கிழமை 3.9.2021

தேசிய குழந்தைத் தொழிலாளர் திட்ட சிறப்புப்பயிற்சி மையங்களில் கல்வி தொலைக்காட்சி!

விருதுநகர்

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறைக்காணப்பணித்திறனாய்வுக்கூட்டத்தில், கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக சிறப்பு பயிற்சி மையங்களில் குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படாத காரணத்தினால், அவர்களின் கல்வி மிகவும் பாதிக்கப்படுவதால், பள்ளிக்கல்வித் துறையின் கல்வி தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பிரத்யேக பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமென முதலமைச்சரால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, 01.09.2021 முதல் என்.சி.எல்.பி. சிறப்புப்பயிற்சி மைய மாணவர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக முற்பகல் 11.00 மணி முதல் 11.30 மணி வரை கல்வி கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்த ஆர்வமுடன் கல்வி கற்று பயன்பெற வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஜெ. மேகநாதரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

வணக்கம் தமிழகம்

पेंसिल पोर्टल

प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल)

भारत सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (सीएएलपीआर अधिनियम) अधिनियमित किया है जो 01 सितंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। सीएएलपीआर अधिनियम के अधिनियमन के बाद विधायी प्रावधानों के शासन को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गई हैं। विधायी प्रावधानों के प्रवर्तन और एनसीएलपी के प्रभावी कार्यान्वयन, दोनों के लिए एक मजबूत कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसके परिणामस्वरूप बाल श्रम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) विकसित किया गया। पेंसिल पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकारों, जिलों और सभी परियोजना समितियों से जोड़ता है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है और सीएएलपीआर अधिनियम के प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) की परिकल्पना 26 सितंबर 2017 को की गई थी। प्रभावी ढंग से समाधान प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच एक सहज स्तर के समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि देखा गया है कि डिजिटलीकरण संचार और कार्य–वितरण का एक सीधा चैनल स्थापित करता है जिससे किसी भी मध्यस्थ वाहक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे प्रशासन द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने की संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है। पेंसिल पोर्टल लक्ष्य और परिणामों, दोनों में स्पष्टता लाते हुए इसे हासिल करने की इच्छा रखता है। प्रभावी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना मंच देश के विभिन्न राज्यों में फैले विभिन्न जिलों में एनसीएलपी सोसायटियों के स्तर पर विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर आधार रेखा निर्धारित करता है और प्रगति की निगरानी करता है।

पेंसिल सॉफ्टवेयर एनसीएलपी सोसायटियों के ऑनलाइन प्रबंधन; प्रगति रिपोर्ट तैयार करना (एपीआर/क्यूपीआर); आशय का पत्र; वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षा रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्र); सूचकांक कार्ड; प्रगति कार्ड; कानून के प्रभावी प्रवर्तन के अलावा बाल नामांकन और रिपोर्ट तैयार करना; राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय; प्रवर्तन में आम जनता की भागीदारी; बच्चे/ किशोर के पुनर्वास पर नज़र रखना एवं एनसीएलपी की निगरानी और कार्यान्वयन; और संबंधित विभागों के साथ अभिसरण की सुविधा प्रदान करता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंसिल पोर्टल अधिक रचनात्मक नीति निर्माण की नींव रखता है। पेंसिल पहले से मौजूद लक्ष्यों के लिए एक नए डेटा भंडार का अवसर प्रदान करता है। नीति के कामकाज की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न डेटा–समीक्षाओं में भविष्य के दृष्टिकोणों को कारगर बनाने की क्षमता है। बाल श्रम एक चिरस्थायी मुद्दा रहा है जिसका सामना भारत सरकार को करना पड़ा और इस मुद्दे को हल करने के लिए समय–सयम पर कई समाधान तैयार किए गए। पेंसिल पोर्टल इन दृष्टिकोणों के साथ–साथ जमीनी प्रभाव, अनुपालन और आगे की राह में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

पेंसिल पोर्टल नए युग के डिजिटल गवर्नेंस पहल के अनुरूप है। हालांकि इस पहल का दायरा स्थानीय बना हुआ है, इस मॉडल का वैश्विक महत्व है। समग्र डिजाइन और विशिष्टताएं ऐसी हैं कि वे आसान प्रतिकृति के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करते हैं। नीति प्रचालक और प्रभाव विश्लेषण तंत्र के रूप में बनाया गया पेंसिल पोर्टल ग्लोबल साउथ के उन देशों को प्रस्तुत किया जा सकता है जो बाल श्रम के मुद्दों से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पेंसिल पोर्टल के सबसे सफल पहलुओं में से एक इसकी आसान अनुकूलन क्षमता है। यह राज्य स्तरीय नीति वितरण तंत्र में एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। पेंसिल पोर्टल का उपयोग करना आसान है और इसका कार्य देखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ज्यादा उच्च स्तर का नहीं होता है। यह न केवल व्यक्तियों की भर्ती को आसान बनाता है बल्कि मौजूदा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत को भी कम करता है।